

**RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.**

Tel : 0141-2740081

Fax : 0141-2740457

E-Mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

FINANICAL BID

FOR

**Supply of Single Super Phosphate(SSP) powder /granulated
/boronated/zinceted/zincboron F.O.R to KVSS/GSS in Rajasthan**

during the year 2018-19

Estimated cost Rs. 25.00 Crores

**Office of the Managing Director,
Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd
4, Bhawani Singh Road, Jaipur.**

**RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.**

**Tel : 0141-2740081
Fax : 0141-2740457
E-Mail : rajfed_agri.input@yahoo.com**

INDEX

S.No	Particulars	Page Number
1	Declaration by the Bidders	01
2	Terms & Conditions of Contract	02-04
3	Bid of Rates	05-10

(1)

DECLARATION BY THE BIDDER

In relation to my/our Bid submitted to Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd Jaipur (RAJFED) For supply of Single Super Phosphate (Powder/Granulated/Boronated/Zincated/zincboron) FOR to KVSS/GSS in Rajasthan in response to their Notice Inviting Bids No..... dated..... I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

- 1- I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity ;
- 2- I/We have fulfilled my/our obligation to pay any such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
- 3- I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons “.
- 4- I/We do not have, and our Directors and Officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our qualification to enter into a procurement contract within a period of three year preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
- 5- I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Documents, which, materially affects fair competition;
- 6- I/We have visited the supply sites and fully acquainted myself/ourselves with the local situation regarding materials, labour and other factors pertaining to the work before submitting the tender of RAJFED regarding supply of Single Super Phosphate (Powder/Granulated/Boronated/Zincated/zincboron) FOR to KVSS/GSS in Rajasthan.
- 7- I/We have carefully studied the instructions, conditions of contract and other documents of this work and I/We agree to execute the work accordingly.

Date:

Place:

Signature of Bidder :

Name :

Designation :

Address :

(2)

राजस्थान राज्य सहकारी कृषि विक्रय संघ लि०,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740081

फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

बोली की शर्तें

1. चारों प्रकार की एसएसपी यथा पाउडर/दानेदार/बोरोनेटेड/जिंकटेड/जिंकबोरोन की दरों का अंकन वित्तीय बिड में शब्दों एवं अंकों में अनिवार्यतः किया जावे, दोनों में अन्तर पाये जाने पर शब्दों में अंकित दर सही मानी जावेगी।
2. बोली में अंकित दरें प्रति मे.टन एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन सभी करों सहित होनी चाहियें। राजफैड द्वारा उक्त स्वीकृत दर के अतिरिक्त फर्म को अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।
3. बोली लगाने वाली फर्म जिसकी बोली स्वीकार की गई है, उसे राजफैड का पत्र प्राप्त होने के 10 दिवस में एक संविदा पत्र राजफैड के साथ निष्पादित करना होगा।
4. प्रत्येक कम्पनी को राजफैड द्वारा आपूर्ति हेतु दिये गये आदेश की दिनांक से सात दिवस के अन्दर एस.एस.पी. की आपूर्ति करनी होगी। यदि कम्पनी द्वारा एस.एस.पी. आपूर्ति के दिये गये आदेशों के विरुद्ध सात दिवस में आपूर्ति नहीं की जाती है तो निम्न स्लेब अनुसार कम्पनी द्वारा एसएसपी की विलम्बित आपूर्ति के मूल्य में से पेनल्टी क्षतिपूर्ति राशि की कटौति की जावेगी :-
 1. आदेश दिनांक से 7 दिवस तक —
 2. आदेश दिनांक के 8 दिन से 10 दिन तक 5 प्रतिशत
 3. आदेश दिनांक के 11 दिन से 12 दिन तक 7.5 प्रतिशत
 4. आदेश दिनांक के 13 दिन से 15 दिन तक 10 प्रतिशत
 5. यदि किसी कम्पनी द्वारा राजफैड के एस.एस.पी. आपूर्ति हेतु दिये गये आदेश के विरुद्ध 15 दिवस में एस.एस.पी. खाद की आपूर्ति नहीं की जाती है तो राजफैड को यह अधिकार होगा कि वह उस मॉग की आपूर्ति रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य किसी कम्पनी से करवा सकता है जिसमें देय अन्तर की राशि कम्पनी को वहन करनी होगी।
5. एस.एस.पी. आपूर्ति के आदेश राजफैड मुख्यालय, जयपुर द्वारा समितियों की मॉग के अनुरूप संबंधित कम्पनियों को दिये जावेंगे। क्षेत्रीय कार्यालयों/समितियों द्वारा एसएसपी आपूर्ति हेतु मॉग राजफैड मुख्यालय को भिजवायी जावेगी।
6. आपूर्तिकर्ता कम्पनी को राजफैड द्वारा एस.एस.पी. आपूर्ति की राशि का भुगतान संबंधित समितियों से प्राप्त होने के पश्चात् किया जावेगा। इस हेतु आपूर्तिकर्ता कम्पनीयों द्वारा निम्न सूचनायें/प्रपत्र संलग्न किये जाने होंगे:-
 1. बिलों में समस्त छूटों का इन्द्राज किया जाना आवश्यक होगा।
 2. बिलों के साथ समितियों को माल के सही हालत में प्राप्त होने संबंधी सूचना/पुष्टी पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
 3. बिल के साथ माल आपूर्ति से पूर्व में फैक्ट्री प्रयोगशाला की सेम्पल टेस्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी होगी।
 4. राजफैड की अनुमोदित दर से कम दर पर राज्य में किसी भी एजेंट/डीलर को एस.एस.पी. की आपूर्ति नहीं गयी है, इस आशय का प्रमाण पत्र फर्म द्वारा प्रत्येक बिल पर देना होगा।
7. स्वीकृत कम्पनी द्वारा सहकारी/सरकारी क्षेत्र एवं समितियों को राजफैड के माध्यम से ही एसएसपी की आपूर्ति की जावेगी। किसी कम्पनी द्वारा सीधे समितियों को एस.एस.पी. की आपूर्ति नहीं की जावेगी। यदि किसी कम्पनी द्वारा ऐसा न करते हुये सीधी आपूर्ति की जाती है तो उस आपूर्ति मात्रा का भुगतान राजफैड स्तर से नहीं किया जावेगा साथ ही उस कम्पनी से किया गया रेट कौन्ट्रेक्ट समाप्त कर ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।

(3)

8. आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा राजफैड की अनुमोदित दरों से कम दरों पर बाजार में अथवा एजेन्ट/डीलर को एस.एस.पी. का विक्रय नहीं किया जावेगा तथा इस आशय का प्रमाण पत्र उनके द्वारा प्रत्येक बिल के साथ दिया जावेगा। यदि कम्पनी द्वारा राजफैड द्वारा अनुमोदित दरों से कम दरों पर बाजार में अथवा एजेन्ट/डीलर को एस.एस.पी. का विक्रय करना पाया गया तो कम्पनी को घटी हुई दर के हिसाब से ही भुगतान किया जावेगा। घटी हुई दरों की सूचना कम्पनी/फर्म तुरन्त राजफैड को उपलब्ध करवायेगी। यदि कम्पनी/फर्म स्वतः ही इसकी सूचना नहीं देती है व तत्पश्चात् राजफैड के ध्यान में आता है कि राजफैड से कम दर पर एस.एस.पी. आपूर्ती की गई है तो उस कम्पनी को ब्लैक लिस्टेड करते हुये उसके माध्यम से किया जा रहा व्यवसाय समाप्त कर दिया जावेगा एवं जमा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
9. कम्पनी द्वारा राजफैड/समिति को वांछित मात्रा में एवं बताये गये स्थानों पर सिंगल सुपर फॉस्फेट 16%P2 O5(NACS), 14.5% P2 O5(WS) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत सप्लाई किया जावेगा तथा डिस्पेच के पूर्व कम्पनी की फैक्ट्री की प्रयोगशाला में सेम्पल टेस्ट करवाना होगा तथा जॉच के पश्चात् गुणवत्ता के मापदण्डों के अनुरूप सही पाये जाने पर ही एस.एस.पी. की आपूर्ति की जावेगी। आपूर्तित एस.एस.पी. की गुणवत्ता की समस्त जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता कम्पनी की होगी।
10. कृषि विभाग द्वारा समिति/फैक्ट्री एवं फील्ड से लिये गये एस.एस.पी. खाद के नमूनों को यदि अमानक घोषित कर दिया जाता है तो उसके लिये फर्म पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी। इस संबंध में यदि किसी समिति/राजफैड के खिलाफ न्यायालय में किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत किया जाता है तो उस वाद में समिति/राजफैड द्वारा किये गये समस्त व्यय (मुकदमा व्यय, यात्रा व्यय आदि) का भुगतान संबंधित कम्पनी द्वारा वहन किया जावेगा।
11. एस.एस.पी. की आपूर्ति 50 किग्रा पैकिंग में नये एच.डी.पी.ई. बैग में की जावेगी। क्षतिग्रस्त एवं कटे फटे थैलों में जमा हुआ एवं ढेले वाला एस.एस.पी. किसी भी स्थिति में समितियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
12. बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) निम्न मामलों में जब्त करने का राजफैड को पूर्ण अधिकार होगा :-
 - (i) यदि बोली लगाने वाली फर्म की बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकृत करने से पूर्व बोली लगाने वाली फर्म प्रस्ताव वापस लेती है, या उसमें परिवर्तन प्रस्तावित करती है।
 - (ii) यदि बोली लगाने वाली फर्म/बोलीदाता निर्धारित समयावधि में संविदा पत्र निष्पादित करने में असफल रहती है।
 - (iii) बोली लगाने वाली फर्म द्वारा बोली के साथ गलत/असत्य तथ्य/दस्तावेज प्रस्तुत करने की स्थिति में।
 - (iv) कम्पनी द्वारा सहकारी/सरकारी क्षेत्र एवं समितियों को राजफैड के अतिरिक्त सीधे ही आपूर्ति किये जाने की स्थिति में।
 - (v) राजफैड की स्वीकृत दरों से कम दरों पर बाजार में अथवा एजेन्ट/डीलर को एसएसपी आपूर्ति किये जाने की स्थिति में।

(4)

13. बिड प्रतिभूति राशि का पुर्नभुगतान वित्तीय वर्ष/संविदा अवधि की समाप्ति पश्चात कार्य संतुष्टि पर किया जावेगा तथा इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
14. एसएसपी आपूर्ति करने में उत्पन्न बाधा यदि बोली लगाने वाली फर्म के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तथा सप्लाई अवधि समाप्ति से पूर्व राजफैड को इस बाबत सूचित कर दिया गया हो तो आपूर्ति की अवधि में परिनिर्धारित क्षति को क्षति-रहित करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार राजफैड के प्रबन्ध संचालक को होगा।
15. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से इन्हीं शर्तों एवं अनुमोदित दरों पर संविदा अवधि में अभिवृद्धि की जा सकेगी।
16. प्रथम अपिलीय अधिकारी कमेटी अध्यक्ष होंगे।
17. द्वितीय अपिलीय अधिकारी प्रबंध संचालक, राजफैड होंगे।
18. किसी भी प्रकार के मतभेद उत्पन्न होने पर प्रबन्ध संचालक, राजफैड का निर्णय अंतिम होगा जो कि दोनों पक्षों को मान्य होगा।
19. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल जयपुर होगा।

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर

(5)

राजस्थान राज्य सहकारी क्य विक्रय संघ लि0,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740081

फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

BID OF RATES

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजफैड के माध्यम से राज्य की क्य विक्रय सहकारी समितियों/ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सिंगल सुपर फॉस्फेट (पाउडर) की एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु प्रति मै.टन की दर :-

दर रू. प्रति मै.टन

क्र. सं.	राजफैड कार्यालय	क्षेत्रीय जिला	बिलिंग दर (एफ.ओ.आर. जी.एस.टी. सहित)
एमआरपी दर (सम्पूर्ण राजस्थान के लिये)			
1	अजमेर	अजमेर, नागौर, भीलवाडा	
2	भरतपुर	भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करोली, सवाईमाधौपुर	
3	बीकानेर	बीकानेर, चुरू	
4	जयपुर	जयपुर, दौसा, सीकर, झुन्झुनू, टोंक	
5	जोधपुर	जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, बाडमेर, जैसलमेर	
6	कोटा	कोटा, बांरा, झालवाड, बूंदी	
7	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ	
8	उदयपुर	उदयपुर, राजसमन्द, डूंगरपुर, बांसवाडा, चित्तौड, प्रतापगढ	

- ऑफ सीजन डिस्काउन्ट रू. प्रति मै.टन माहवार
- राजफैड को देय अन्य छूट

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर

(6)

राजस्थान राज्य सहकारी क्य विक्रय संघ लि०,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740081

फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

BID OF RATES

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजफैड के माध्यम से राज्य की क्य विक्रय सहकारी समितियों/ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सिंगल सुपर फॉस्फेट (दानेदार) की एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु प्रति मै.टन की दर :-

दर रू. प्रति मै.टन

क्र. सं.	राजफैड कार्यालय	क्षेत्रीय जिला	बिलिंग दर (एफ.ओ.आर. जी.एस.टी. सहित)
एमआरपी दर (सम्पूर्ण राजस्थान के लिये)			
1	अजमेर	अजमेर, नागौर, भीलवाडा	
2	भरतपुर	भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करोली, सवाईमाधौपुर	
3	बीकानेर	बीकानेर, चुरू	
4	जयपुर	जयपुर, दौसा, सीकर, झुन्झुनू, टोंक	
5	जोधपुर	जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, बाडमेर, जैसलमेर	
6	कोटा	कोटा, बांरा, झालवाड, बूंदी	
7	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ	
8	उदयपुर	उदयपुर, राजसमन्द, डूंगरपुर, बांसवाडा, चित्तौड, प्रतापगढ	

1. ऑफ सीजन डिस्काउन्ट रू. प्रति मै.टन माहवार
2. राजफैड को देय अन्य छूट

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर

(7)

राजस्थान राज्य सहकारी क्य विक्रय संघ लि0,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740081
फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

BID OF RATES

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजफैड के माध्यम से राज्य की क्य विक्रय सहकारी समितियों/ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सिंगल सुपर फॉस्फेट बोरोनेटेड (पाउडर) की एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु प्रति मै.टन की दर :-

दर रू. प्रति मै.टन

क्र. सं.	राजफैड कार्यालय	क्षेत्रीय जिला	बिलिंग दर (एफ.ओ.आर. जी.एस.टी. सहित)
एमआरपी दर (सम्पूर्ण राजस्थान के लिये)			
1	अजमेर	अजमेर, नागौर, भीलवाडा	
2	भरतपुर	भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करोली, सवाईमाधौपुर	
3	बीकानेर	बीकानेर, चुरू	
4	जयपुर	जयपुर, दौसा, सीकर, झुन्झुनू, टोंक	
5	जोधपुर	जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, बाडमेर, जैसलमेर	
6	कोटा	कोटा, बांरा, झालवाड, बूंदी	
7	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ	
8	उदयपुर	उदयपुर, राजसमन्द, डूंगरपुर, बांसवाडा, चित्तौड, प्रतापगढ	

1. ऑफ सीजन डिस्काउन्ट रू. प्रति मै.टन माहवार
2. राजफैड को देय अन्य छूट

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर

(8)

राजस्थान राज्य सहकारी क्य विक्रय संघ लि0,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740081

फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

BID OF RATES

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजफैड के माध्यम से राज्य की क्य विक्रय सहकारी समितियों/ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सिंगल सुपर फॉस्फेट बोरोनेटेड (दानेदार) की एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु प्रति मै.टन की दर :-

दर रू. प्रति मै.टन

क्र. सं.	राजफैड कार्यालय	क्षेत्रीय जिला	बिलिंग दर (एफ.ओ.आर. जी.एस.टी. सहित)
एमआरपी दर (सम्पूर्ण राजस्थान के लिये)			
1	अजमेर	अजमेर, नागौर, भीलवाडा	
2	भरतपुर	भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करोली, सवाईमाधौपुर	
3	बीकानेर	बीकानेर, चुरू	
4	जयपुर	जयपुर, दौसा, सीकर, झुन्झुनू, टोंक	
5	जोधपुर	जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, बाडमेर, जैसलमेर	
6	कोटा	कोटा, बांरा, झालवाड, बूंदी	
7	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ	
8	उदयपुर	उदयपुर, राजसमन्द, डूंगरपुर, बांसवाडा, चित्तौड, प्रतापगढ	

1. ऑफ सीजन डिस्काउन्ट रू. प्रति मै.टन माहवार
2. राजफैड को देय अन्य छूट

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर

(9)

राजस्थान राज्य सहकारी ऋय विक्रय संघ लि०,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740081

फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

BID OF RATES

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजफैड के माध्यम से राज्य की ऋय विक्रय सहकारी समितियों/ग्राम सेवा सहकारी समितियों को **सिंगल सुपर फॉस्फेट जिंकेटेड (पाउडर)** की एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु प्रति मै.टन की दर :-

दर रू. प्रति मै.टन

क्र. सं.	राजफैड क्षेत्रीय कार्यालय	जिला	बिलिंग दर (एफ.ओ.आर. जी.एस.टी. सहित)
एमआरपी दर (सम्पूर्ण राजस्थान के लिये)			
1	अजमेर	अजमेर, नागौर, भीलवाडा	
2	भरतपुर	भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करोली, सवाईमाधौपुर	
3	बीकानेर	बीकानेर, चुरू	
4	जयपुर	जयपुर, दौसा, सीकर, झुन्झुनू, टोंक	
5	जोधपुर	जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, बाडमेर, जैसलमेर	
6	कोटा	कोटा, बांरा, झालवाड, बूंदी	
7	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ	
8	उदयपुर	उदयपुर, राजसमन्द, डूंगरपुर, बांसवाडा, चित्तौड, प्रतापगढ	

1. ऑफ सीजन डिस्काउन्ट रू. प्रति मै.टन माहवार
2. राजफैड को देय अन्य छूट

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर

(10)

राजस्थान राज्य सहकारी ऋय विक्रय संघ लि०,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740081

फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

BID OF RATES

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजफैड के माध्यम से राज्य की ऋय विक्रय सहकारी समितियों/ग्राम सेवा सहकारी समितियों को **सिंगल सुपर फॉस्फेट जिंकेटेड (दानेदार)** की एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु प्रति मै.टन की दर :-

दर रू. प्रति मै.टन

कं. सं.	राजफैड क्षेत्रीय कार्यालय	जिला	बिलिंग दर (एफ.ओ.आर. जी.एस.टी. सहित)
एमआरपी दर (सम्पूर्ण राजस्थान के लिये)			
1	अजमेर	अजमेर, नागौर, भीलवाडा	
2	भरतपुर	भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करोली, सवाईमाधौपुर	
3	बीकानेर	बीकानेर, चुरू	
4	जयपुर	जयपुर, दौसा, सीकर, झुन्झुनू, टोंक	
5	जोधपुर	जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, बाडमेर, जैसलमेर	
6	कोटा	कोटा, बांरा, झालवाड, बूंदी	
7	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ	
8	उदयपुर	उदयपुर, राजसमन्द, डूंगरपुर, बांसवाडा, चित्तौड, प्रतापगढ	

1. ऑफ सीजन डिस्काउन्ट रू. प्रति मै.टन माहवार
2. राजफैड को देय अन्य छूट

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर

(11)

राजस्थान राज्य सहकारी क्य विक्रय संघ लि०,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141-2740081

फैक्स नं. 0141-2740457

E-mail: rajfed_agri.input@yahoo.com

BID OF RATES

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजफैड के माध्यम से राज्य की क्य विक्रय सहकारी समितियों/ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सिंगल सुपर फॉस्फेट जिंकबोरोन (दानेदार) की एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु प्रति मै.टन की दर :-

दर रु. प्रति मै.टन

क्र. सं.	राजफैड क्षेत्रीय कार्यालय	जिला	बिलिंग दर (एफ.ओ.आर. जी.एस.टी. सहित)
एमआरपी दर (सम्पूर्ण राजस्थान के लिये)			
1	अजमेर	अजमेर, नागौर, भीलवाडा	
2	भरतपुर	भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करोली, सवाईमाधौपुर	
3	बीकानेर	बीकानेर, चुरू	
4	जयपुर	जयपुर, दौसा, सीकर, झुन्झुनू, टोंक	
5	जोधपुर	जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, बाडमेर, जैसलमेर	
6	कोटा	कोटा, बांरा, झालवाड, बूंदी	
7	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ	
8	उदयपुर	उदयपुर, राजसमन्द, डूंगरपुर, बांसवाडा, चित्तौड, प्रतापगढ	

1. ऑफ सीजन डिस्काउन्ट रु. प्रति मै.टन माहवार
2. राजफैड को देय अन्य छूट

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर